


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)()डीएलबी/19/16811

दिनांक: 13-11-2020

संशोधित आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 7327 दिनांक 24.07.2020 में श्री सिद्धार्थ शर्मा, अधिवक्ता के भुगतान के संबंध में नगर निगम ग्रेटर जयपुर के स्थान पर नगर निगम हैरिटेज जयपुर पढ़ा जावें।



(दीपक जन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/19/16812-16820 दिनांक: 13-11-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. आयुक्त, नगर निगम जयपुर (ग्रेटर/हैरिटेज)।
06. निदेशक (विधि), नगर निगम जयपुर (ग्रेटर/हैरिटेज)।
07. श्री सिद्धार्थ शर्मा, अधिवक्ता मार्फत नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी